

राजस्थान सरकार  
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.17(69)कृषि-2/89/10387-423

दिनांक: 15.12.06

--: अधिसूचना ::--

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) की धारा 36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त धारा की उप धारा (4) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त किया जाये, क्योंकि राज्य सरकार का विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिये, अर्थात्

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1996

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

- 1) ये नियम राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम 1996 कहलायेंगे।
- 2) ये नियम 15 जून, 1995 से प्रभावशाली होंगे।

2. परिभाषाएं

जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में

- (क) बोर्ड से अभिप्राय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से है।
- (ख) 'प्रशासक/अध्यक्ष' का अभिप्राय यथास्थिति राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक/अध्यक्ष से है।
- (ग) 'मुख्यलेखाधिकारी' से तात्पर्य बोर्ड के मुख्यलेखाधिकारी से है।
- (घ) 'सचिव' से तात्पर्य बोर्ड के सचिव से है।
- (ङ) 'निधि' का अभिप्राय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सामान्य प्रावधायी निधि से है। इस निधि में मासिक योगदान की राशि जमा कराई जाती रहेगी एवं विद्यमान कर्मचारियों के द्वारा अंशदायी प्रावधायी निधि में जमा कराई गई राशि व ब्याज की राशि को स्थानान्तरण किया जावेगा।
- (छ) 'अभिदाता' से अभिप्राय उन कर्मचारियों से है, जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड पेन्शन नियम, 1995 के द्वारा शासित होंगे अथवा जिनको मासिक अभिदाय की राशि निर्धारित दर पर इन विभागों के अन्तर्गत सामान्य प्रावधायी निधि में जमा करानी होगी।

सहायक लेखाधिकारी  
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
जयपुर

वरिष्ठ लेखाधिकारी  
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
जयपुर

